राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/Pay manager / 696–945 दिनांक 13/4/2018

समस्त विभागाध्यक्ष।

विषय:– चिकित्सा बिलों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:– विभाग का पूर्व परिपत्र क्रमांक 11201–11500 दिनांक 23.08.2017

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के बिन्दु संख्या 305 की पालना में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ई–भुगतान से संबंधित सुविधाओं का विस्तार करते हुए राज्य कर्मचारियों द्वारा अपने **चिकित्सा बिल के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण** की व्यवस्था सभी विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों/कार्मिकों हेतु शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया उक्त संदर्भित परिपत्र में वर्णित हैं।

चिकित्सा बिलों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण हेतु बिल बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पे–मैनेजर के डेमों यूआरएल (164.100.153.22/paymanagerdemo) पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। जिस पर कार्मिक/आहरण वितरण अधिकारी अपने लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करते हुए ऑनलाइन चिकित्सा बिल **प्रायोगिक रूप से** तैयार कर जाँच कर सकते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया डेमो यू.आर.एल. पर है, अतः इससे तैयार बिलों का उपयोग कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा चिकित्सा बिल अधिकृत करने हेतु नहीं किया जाना है।

अतः अधीनस्थ कार्यालयों/आहरण वितरण अधिकारियों व कार्मिकों को चिकित्सा बिल पे–मैनेजर के उक्त डेमो सर्वर पर उपलब्ध प्रक्रिया से प्रायोगिक आधार पर तैयार करने हेतु निर्देशित करावें, जिससे ऑनलाइन प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से लागू करने से पूर्व तकनीकी कठिनाईयों की जाँच की जा सके। इस संदर्भ में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी उनके स्तर पर संकलित आवश्यक सुझाव दिनांक 30.04.2018 तक कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी को अथवा निम्न ई–मेल या फेक्स नम्बर पर निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें -

Jdb-ta-rj@nic.in

ao-ifms -rj@nic.in

aaopaymanager.ifms@rajasthan.gov.in

Fax No. 0141- 2742309

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/Pay manager /946–986 दिनांक 13/4/2018

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक (IT), वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साइट पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त कोषाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रक्रिया की पूर्ण जाँच किया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्तानुसार प्राप्त सुझावों को निदेशालय कोष एवं लेखा की संबंधित ई–मेल आई.डी. पर अग्रेषित करें।
3. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव